परियोजना का नामः– फूलधार नहर निर्माण कार्य

(5)

परिशिष्ट

(देखिये नियम–6)

फार्म 'क'

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग–1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

1– परियोजना विवररणः–

1	अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना स्कीम का संक्षिप्त विवरण	:–	फूलधार नहर निर्माण कार्य, तहसील बड़कोट, जिला उत्तरकाशी
	(i) 1:50000 स्केल पर वन भूमि और उसके आस पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप	:–	मैप संलग्न है।
	(ii) परियोजना की लागत	:–	29.31 लाख
	(iii) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य	:–	पेयजल की सुविधा
	(iv) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	:–	लागू नहीं
	(v) रोजगार जिसके पैदा होने की सम्भावना है।	:–	9000 मानव दिवस सृजित होगें
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार यदि कोई है।	:–	नही
3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण यदि कोई हो	:–	योजना के निर्माण से कोई परिवार/व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा।
	(i) परियोजना की संख्या	:–	———रिक्त———
	(ii) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	:–	———रिक्त———
	(iii) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	:–	———रिक्त———

परियोजना का नामः– फूलधार नहर निर्माण कार्य

4	**क्या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है (हॉं/नहीं)**	:–	नही
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र में पुनः वनीकरण की बचनबद्वता संलग्न की जाय।	:–	संलग्न है।
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा	:–	संलग्न है।

दिनांक :– .... (प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर)

स्थान :– ....

नामः–

मोहर

अपर सहायक अभियन्ता
सिंचाई उपखण्ड–बड़कोट
पुरोला (उत्तरकाशी)

सहायक अभियन्ता
सिंचाई निर्माण उप खण्ड
बड़कोट (उत्तरकाशी)

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड–पुरोला
उत्तरकाशी

प्रस्ताव की क्रम संख्या..

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

परियोजना का नाम:– फूलधार नहर निर्माण कार्य

भाग– ।।

सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या:– ....

7	परियोजना स्कीम का स्थान	:–	फूलधार नहर निर्माण कार्य, तहसील बडकोट, जिला उत्तरकाशी।
	(i) राज्य संघ शासित क्षेत्र	:–	उत्तराखण्ड
	(ii) जिला	:–	उत्तरकाशी
	(iii) वन प्रभाग	:–	अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट
	(iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (है0 में)	:–	0.2695 है0
	(v) वन की कानूनी स्थिति	:–	आरक्षित वन भूमि
	(vi) हरियाली का घनत्व	:–	0.4 से अधिक है।
	(vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना संलग्न की जाय। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0–4 मीटर भी संलग्न किया जाय।	:–	परियोजना के निर्माण से कोई वृक्ष प्रभावित नहीं होगा।
	(viii) भू–क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	:–	संवेदनशील क्षेत्र नहीं है
	(ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल से वन की सीमा की अनुमानित दूरी	:–	योजना वन भूमि के अन्दर क्रियान्वित होगी।
	(x) क्या प्रस्तावित क्षेत्र फार्म राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण, जैवमण्डल रिर्जव हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हॉ तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयां अनुबन्धित की जाय)	:–	नहीं
	(xi) क्या क्षेत्र की वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	:–	नहीं

परियोजना का नामः– फूलधार नहर निर्माण कार्य

	(xii) क्या सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वूर्ण स्माकरण क्षेत्र में स्थित है। यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	:–	नही
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1 कॉलम–2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं हो जॉचे गये विकल्पों के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	:–	प्रस्तावित भूमि न्यूनतम एवं अपरिहार्य है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।
9	क्या वन अधिनियम के उल्लघंन में कोई कार्य किया गया है (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे है।	:–	नही
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा	:–	
	(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र, आस–पास के वन से इनकी दूरी भू–खण्डों की संख्या प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	:–	संलग्न है।
	(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र आस–पास की सीमाओं को दर्शाता मैप	:–	संलग्न है।
	(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी समय अनुसूची लागत ढॉचा आदि।	:–	संलग्न है।
	(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।		संलग्न है।
	(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र		संलग्न है।

परियोजना का नामः— फूलधार नहर निर्माण कार्य

	की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय।)		
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कॉलाम (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यो को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	:—	संलग्न है।
12	विभाग / जिला प्रोफाइल	:—	
	(i) जिला का भौगोलिक क्षेत्रफल	:—	89379.711 है0 (अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट)
	(ii) जिला का वन क्षेत्रफल	:—	79279.707 है0 (अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट)
	(iii) मामले की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र।	:—	52 मामले / 61.48 है0
	(iv) 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	:—	144.27 है0
	(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	:—	------रिक्त------
	(ख) वनेत्तर भूमि पर अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति	:—	138.23 है0
	(क) वन भूमि पर।	:—	------रिक्त------
	(ख) वनेत्तर भूमि पर।	:—	—
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	:—	प्रस्ताव को स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

दिनांकः— .....

स्थान'— .....

हस्ताक्षर
प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

परियोजना का नामः– फूलधार नहर निर्माण कार्य

भाग– (।।।)

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा जाना है)

1. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है। क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणें को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।
2. क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।
3. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

दिनांकः– .....

स्थानः– .....

हस्ताक्षर

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

परियोजना का नामः– फूलधार नहर निर्माण कार्य

भाग–(iv)

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

1. टिप्पणीयों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथ के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
   (राय देते समय सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय।)

दिनांकः– .....

स्थानः– .....

हस्ताक्षर

नाम और पदनाम

सरकारी मोहन

परियोजना का नामः– फूलधार नहर निर्माण कार्य

भाग–(v)

(इसे वन विभग के प्रभारी अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

1. राज्य सरकार की सिफारिश (उपयुक्त भाग–ख या भाग–ग या भाग–घ में किसी अधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणीयों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाय)

दिनांकः– .....

स्थानः– .....

हस्ताक्षर

नाम और पदनाम

सरकारी मोहन

परियोजना का नामः– फूलधार नहर निर्माण कार्य

(अनुदेश भाग–1 के लिए)

1	परियोजना अधिकारी कॉलम–1 (यथा अवतलन विश्लेषण रिर्पोट आदि के साथ मुख्य खनिजों/सी एम पी डी आई योजना के लिए आई बी एम अनुमोदित खनन योजना को पूरा करने के अलवा अनुमोदित परियोजना/योजना की एक प्रति संलग्न करेगें।	:–	
2	मानचित्र मूल होने चाहिए और वह परियोजना अधिकारियों और सम्बन्धित डी0सी0एफ0 कॉलम 1, 2 द्वारा संयुक्त रूप से अधिप्रमाणित होना चाहिए।	:–	
3	सडक ट्रासंगिशन लाइने रेलवे लाइने नहर आदि जैसी परियोजना के मामले में विशेष रूप से जॉच किये गये वैकल्पिक समरेखण का पूर्ण रूप से जॉच किये गये वैकल्पिक समरेखण का पूर्ण विवरण होना चाहिए और मानचित्र में कॉलम (।।।) में दिये गये प्रत्येक विकल्प में शामिल वन भूमि क्षेत्र के विवरण दिये जाने चाहिए।	:–	
4	खनन से सम्बन्धित प्रस्तावों के लिए वनेत्तर क्षेत्रों के चारो आरे/आस–पास उक्त खनिज की अनुनलब्धता के बारे में जिला खनन पदाधिकारी जैसे सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने चाहिए।	:–	
5	यदि उक्त कम्पनी/व्यक्ति ने राज्य में समान परियोजना के लिए वन भूमि ली है तो परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति के साथ–साथ अनुलग्न में दिये गये ऐसे सभी अनुमोदनों/पट्टो का संक्षिप्त ब्यौरा दिया जाना चाहिए।		
6	वन (संरक्षक) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत मत्रांलय द्वारा जारी अद्यतन स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि ऐसी सूचनाए दिये गये कॉलम में उपयुक्त नहीं बैठते है तो उन्हें अलग से संलग्न किया जाना चाहिए।		

अन्य अनुदेशः–

1. प्रस्ताव की प्राप्ति पर नोडल अधिकारी प्रयोक्ता एजेन्सी को
2. इसकी प्राप्ती की रसीद देगा जिसमें प्रस्ताव का नाम क्षेत्र हैक्टेयर में कम संख्या और प्राप्ति की तारीख का उल्लेख होगा।
3. यदि उपर दिया गया स्थान किसी सूचना को निर्दिष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कृप्या अलग से ब्यौरा/दस्तावेजों को संलग्न करें।
4. प्रस्तावों को केन्द्र सरकार को अग्रेषित करते समय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी स्पष्टीकरण के साथ पठित उपर्युक्त निर्धारित फार्म के अनुसार मामले के सभी पहलुओं पर पूर्ण ब्यौरा दिया जाना चाहिए। अपूर्ण अथवा अधूरे प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. राज्य सरकार समय सीमा के भीतर प्रस्ताव को केन्द्रीय सरकार के पास प्रस्तुत करेगी। यदि अग्रेषित करने में विलम्ब हुआ तो इसके कारणों को अग्रेषण/पत्र में दिया जाना चाहिए।